

स्पीड पोस्ट/ई-मेल
प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
रोहतास, नालंदा, गोपालगंज, वैशाली, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), अरवल, सिवान, नवादा, मुंगेर,
बक्सर, दरभंगा, अररिया एवं जमुई।

पटना, दिनांक-22-9-2017

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001- जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 6,46,00,000/- (छः करोड़ छियालीस लाख रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 6,46,00,000/- (छः करोड़ छियालीस लाख रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 एवं 3002 दिनांक 26.04.2017 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
5. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
6. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
10. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

11. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
12. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
13. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।

अनु०:- यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन



(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

स्वीड पोस्ट/ई-मेल
प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
रोहतास, नालंदा, गोपालगंज, वैशाली, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), अरवल, सिवान, नवादा, मुंगेर,
बक्सर, दरभंगा, अररिया एवं जमुई।

पटना, दिनांक- 2017

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001- जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 6,46,00,000/- (छः करोड़ छियालीस लाख रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 6,46,00,000/- (छः करोड़ छियालीस लाख रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 एवं 3002 दिनांक 26.04.2017 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
5. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
6. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
10. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।


11. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
12. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
13. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।

अनु०:- यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन
ह०/-
(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापक संख्या-5/बजट 1-02/2017 सा०-२१...../ पटना, दिनांक-२२-१-/2017

प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, रोहतास, नालंदा, गोपालगंज, वैशाली, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), अरवल, सिवान, नवादा, मुंगेर, बक्सर, दरभंगा, अररिया एवं जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिए (मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-0001-जिला प्रशासन) आवंटन:-

क्र० सं०	विषय शीर्ष	इकाइ मद	संकेतांक	नालंदा	गोपालगंज	बैशाली	पूर्वी चम्पारण (मतिहारी)	अरवल	सिवान	नवादा	मुंगेर	बक्सर	दरभंगा	अररिया	जमुई	कुल
1	01 01	वेतन	200,00,000	90,00,000	0	0	0	0	100,00,000	0	0	0	0	0	0	390,00,000
2	01 03	जीवन यापन भता	3,25,000	30,00,000	0	0	0	0	47,00,000	0	0	0	0	0	0	80,25,000
3	01 04	मकान किराया भता	6,00,000	2,00,000	0	0	0	0	14,56,000	0	0	0	0	0	0	22,56,000
4	01 06	चिकित्सा भता	20,000	3,00,000	0	0	0	0	1,25,000	0	0	0	0	0	0	4,45,000
		वेतन-भता का योग -	209,45,000	125,00,000	0	0	0	0	162,81,000	0	0	0	0	0	0	497,26,000
6	06 01	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0	3,00,000	0	1,92,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	6,82,000
7	11 01	यात्रा व्यय	0	1,00,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000
8	13 01	कार्यालय व्यय	0	8,00,000	0	0	0	3,00,000	3,00,000	0	0	0	0	0	0	14,00,000
9	13 02	वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	0	0	0	0	0	2,00,000	3,00,000	0	0	0	0	0	0	5,00,000
10	13 03	दूरभाष व्यय	0	2,00,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	2,50,000
11	13 04	विद्युत प्रभार	0	4,00,000	0	0	0	3,00,000	13,00,000	0	0	0	0	0	0	20,00,000
12	13 06	वर्दी/पोशाक	0	1,00,000	0	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	0	1,32,000
13	14 01	किराया, महसूल एवं कर	0	1,00,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	1,30,000
14	20 01	आविष्य व्यय	0	3,00,000	0	0	0	0	1,00,000	0	0	0	0	0	0	4,00,000
15	20 03	प्रशिक्षण व्यय	0	30,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	80,000
16	21 01	सामग्री एवं पूर्तियाँ	0	2,00,000	0	0	0	1,00,000	1,00,000	0	0	0	0	0	0	4,00,000
17	28 02	संवित्ता सेवारत	10,00,000	20,00,000	0	8,00,000	10,00,000	0	8,00,000	3,00,000	5,00,000	8,00,000	5,00,000	8,00,000	3,00,000	88,00,000
		कुल योग-	219,45,000	170,30,000	1,40,000	8,00,000	11,92,000	9,00,000	193,43,000	3,00,000	5,00,000	8,00,000	5,50,000	8,00,000	3,00,000	646,00,000

(रु: करोड़ चिह्नान्तर लाल रूपसे) मात्र।

सरकार के अपर सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग